भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 764

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन

764. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
डॉ. बायरेड्डी शबरी:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, विशेषकर विजयनगरम और नंदयाल में जिला-वार कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया गया है तथा इनके चयन हेतु वर्ष-वार क्या मानदंड थे;

(ख) इसके अंतर्गत स्थापित की जाने वाली सुविधाओं की सूची क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन हेतु उक्त क्षेत्रों सहित राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी निधि आबंटित की गई तथा उपयोग की गई;

(घ) आंध्र प्रदेश में उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपने कौशल और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई;

(ड.) क्या सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत उक्त राज्य और जिलों में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए कोई योजनाबद्ध/प्रस्तावित परियोजनाएं हैं अथवा उसने कोई मानदंड तय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त प्रक्रिया में कोई विलंब हुआ है अथवा कोई चुनौतियां आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औोर वर्तमान में उनके लिए कौन-सी कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) : 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत बेहतर पोषण प्रदायगी और बाल्यावस्था पूर्व देखरेख और शिक्षा के लिए सरकारी भवनों में स्थित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र की दर से प्रति वर्ष सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में सुदृढ़ और उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों से बेहतर अवसंरचना प्रदान किया जाना है, जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, जल शोधक/ आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई से संबंधित पुस्तकें और शिक्षण सामग्री शामिल हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नयन के लिए अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्रों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन के लिए निधियों के राज्य-वार आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(घ) : सरकार ने 10 मई, 2023 को देश भर की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की कुशलता बढाने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल शुरू की है ताकि छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल्यावस्था पूर्व देखरेख और शिक्षा और पोषण सेवा प्रदान करने की उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। जून 2024 तक, पोषण भी पढाई भी के तहत, देश भर में 11,364 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और अतिरिक्त संसाधन व्यक्ति) को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में 376 एसएलएमटी को प्रशिक्षित किया गया है।

(ड.) और (च) : सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए, लाभार्थियों को बेहतर पोषण प्रदायगी के लिए और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रतिवर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र की दर से सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाना है। अब तक मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नयन के लिए 92108 आंगनवाड़ी केंद्रों को अनुमोदित किया है।

(छ) : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ और आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की "अवैतनिक कार्यकर्त्रियाँ" हैं जो समुदाय की सहायता के लिए बाल देखरेख एवं विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं जिसके लिए आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रतिमाह और आंगनवाड़ी

कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये प्रतिमाह निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन के साथ केन्द्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मध्य लागत हिस्सेदारी के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रतिमाह 4,500/- रुपये की दर से तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,250/- रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय का भी भुगतान कर रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 7000/-रुपये अतिरिक्त मानदेय प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रोन्नति के अवसरों में वृद्धि की गई है। अन्य मानदंडों को पूरा करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पदों को कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं से तथा पर्यवेक्षकों के 50% पदों को कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की प्रोन्नति से भरा जाना हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (जिसमें जीवन का जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है) के जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 18-59 वर्ष के आयु वर्ग में 2.00 लाख रु (दुर्घटनासे मृत्यु एवं स्थायी पूर्ण अपंगता)/1.00/- रु (आंशिक किन्तु स्थायी विकलांगता) के दुर्घटना कवर के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है।

अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य सेवा वार्षिक कवरेज का विस्तार करने की घोषणा की गई है।

****

अनुलग्नक-I

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, डॉ. बायरेड्डी शबरी और श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा 'आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन' विषय पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के भाग(क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

<u>आंध्र प्रदेश में सक्षम आंगनवाडी में उन्नयन के लिए अनुमोदित जिलावार आंगनवाडी केंद्रों का विवरण</u>

राज्य	**वित्तीय वर्ष**	**जिले**	**सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नयन के लिए अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	2022-23	विशाखापत्तनम	400
		विजयनगरम	400
		कडपा	305
	2023-24	अन्नामाया	174
		पीवीपी मान्यम	516
		कुरनूल	27
		प्रकासम	82
		अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर)	181
		वाईएसआर कडपा	720
		एनटीआर	63
कुल			**2868**

अनुलग्नक-II

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, डॉ. बायरेड्डी शबरी और श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा 'आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन' विषय पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के भाग(ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश सहित देश भर में सक्षम आंगनवाडी केंद्रों के उन्नयन के लिए आवंटित निधियों का राज्य-वार दर्शाते हुए वर्षवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उन्नयन के लिए अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधि (लाख रुपए में)	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उन्नयन के लिए अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित निधियां (लाख रुपए में)	उन्नयन हेतु अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या	कुल आवंटित निधि (लाख रुपए में)
आंध्र प्रदेश	1105	525.58	1763	1057.8	2868	1583.38
बिहार	3566	1697.77	3550	2130	7116	3827.77
छत्तीसगढ़	4750	1957.92	1740	1044	6490	3001.92
गुजरात	1250	750.00	0	0	1250	750.00
हरियाणा	10	3.56	0	0	10	3.56
हिमाचल प्रदेश	100	72.86	25	22.5	125	95.36
जम्मू एवं कश्मीर	86	69.66	50	45	136	114.66
झारखंड	6850	3028.88	0	0	6850	3028.88
कर्नाटक	100	47.39	178	106.8	278	154.19
केरल	250	116.12	1710	1026	1960	1142.12
मध्य प्रदेश	2220	1305.85	9486	5691.6	11706	6997.45
महाराष्ट्र	1150	520.47	589	353.4	1739	873.87
ओडिशा	6000	2920.92	1084	650.4	7084	3571.32
पंजाब	100	56.88	0	0	100	56.88
राजस्थान	213	102.93	340	204	553	306.93
तमिलनाडु	800	395.76	5590	3354	6390	3749.76
तेलंगाना	500	278.16	3529	2117.4	4029	2395.56
उत्तर प्रदेश	2349	1015.80	17845	10707	20194	11722.80
उत्तराखंड	350	306.04	213	191.7	563	497.74

पश्चिम बंगाल	4750	2308.19	609	365.4	5359	2673.59
अरुणाचल प्रदेश	100	71.51	0	0	100	71.51
असम	3963	3285.58	815	733.5	4778	4019.08
मणिपुर	30	20.25	0	0	30	20.25
मेघालय	100	68.90	8	7.2	108	76.10
मिजोरम	100	64.13	988	889.2	1088	953.33
नागालैंड	100	72.14	49	44.1	149	116.24
सिक्किम	100	64.13	335	301.5	435	365.63
त्रिपुरा	200	146.25	245	220.5	445	366.75
अंडमान एवं निकोबार	0	0	86	86	86	86.00
गोवा	0	0	24	14.4	24	14.40
पुद्दुचेरी	0	0	65	39	65	39.00
कुल	**41192**	**21273.63**	**50916**	**31402.4**	**92108**	**52676.03**

*****